वैश्विक कपड़ा उद्योग में जीविका वेतन प्राप्त करने की नई रणनीति

यूनियनों, श्रमिक केंद्रों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य अधिवक्ताओं का एक व्यापक समूह कानूनी रूप से बाध्यकारी और लागू करने योग्य वेतन समझौते के प्रस्ताव को विकसित करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आया है, और आपकी सक्रिय भागीदारी व समर्थन की मांग कर रहा है ।

हमारे द्वारा पहने जाने वाले कपड़े दुनिया भर के लाखों श्रमिकों द्वारा बनाए जाते हैं, ज्यादातर रंग की महिलाएं , जो उतना वेतन कमाती हैं जो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। कम वेतन वैश्विक कपडा उद्योग का एक निर्धारक है, जिसका श्रमिकों और उनके परिवारों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अपनी जरूरतें पूरा करने व ज़्यादा कमाने के लिए मज़दूरों को बहुत लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। वे और उनके परिवार अक्सर कुपोषित होते हैं, और आमतौर पर वे अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा या पर्याप्त चिकित्सा सेवाओं का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। कई लोगों के पास तो ढंग का आवास व स्वच्छ पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। अक्सर केवल बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, श्रमिकों को अनौपचारिक ऋणदाताओं या दुकानों से उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता है। अक्सर वैश्वीकरण के मुख्य लाभों में से एक होता है गरीबी से बाहर निकालने का एक मार्ग प्रदान करना। लेकिन कपडा उद्योग की नौकरियाँ इसके बजाय, श्रमिकों को कर्ज और हताशा के चक्र में फंसा देती हैं।

ये स्थितियां कोई दुर्घटना नहीं हैं- ये आपूर्ति श्रृंखला के शीर्ष पर ब्रांडों और खुदरा विक्रेताओं की खरीद प्रथाओं का एक सीधा परिणाम हैं, जहाँ वो लाभ को अधिकतम करने के लिए लागतों को सिकोड़ देते है। कपड़ो की कंपनियां बाहरी स्रोतों जिसमें दुनिया भर की फैक्टरियाँ और कार्यस्थल का समूह है, उनसे ठेके में काम करवाती है, जिसके कारण आपूर्तिकर्ताओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, और वे कीमत और वितरण-समय के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने पर मजबूर हो जाते है। ऑर्डरों को अपने पास बनाए रखने के लिए, आपूर्तिकर्ताओं को कीमतों को कम रखने के तरीके खोजने पड़ते है, जिसके कारण वे श्रमिक मानकों को अनदेखा कर देते है और श्रमिकों द्वारा किसी भी उच्च वेतन की मांग को नकार देते है। वहीं दूसरी ओर, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सरकारें शोषण के मुद्दे पर आंखें मूंद लेती हैं और वैधानिक न्यूनतम वेतन को आजीविका वेतन के स्तर से बहुत नीचे निर्धारित करती हैं, भले ही फ़िर इससे अंतर्राष्ट्रीय मानव और श्रमिक अधिकारों के मानकों का उल्लंघन हो। इन व्यवस्थाओं के माध्यम

से, ब्रांड शोषण को बढ़ावा देते है, आपूर्तिकर्ताओं और सरकारों को लाभ पहुँचाते है और जो सही काम करने की कोशिश करते हैं उनको दंडित करते है।

वस्तुतः सभी कपडा उत्पादक देशों (जिनमें यूरोप के देश भी शामिल है) की सरकारों ने न्यूनतम वेतन को उन स्तरों पर निर्धारित किया है जो स्वीकृत आजीविका वेतन अनुमानों के एक तिहाई से भी कम हैं। इसका मतलब यह है कि इन देशों में मजदूरों का संघ, अगर नियोक्ताओं के साथ मोल-भाव की प्रक्रिया में प्रवेश करने में सक्षम होता भी हैं, तो उसको एक ऐसे स्तर से ऊपर की ओर मोल-भाव करना होगा जो इतना निचला है की सफल मोल-भाव के बाद भी वे आजीविका वेतन स्तर से बहुत नीचे ही रहेंगे।

एक तरफ दुनिया भर के श्रमिक इन परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठित हुए है, वहीं उपभोक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता इन कठोर वास्तविकताओं से अवगत हुए और ब्रांडों व खुदरा विक्रेताओं से बदलाव की मांग करने वाले आंदोलनों से जुड़ गए। अपनी छवि को बचाने के लिए, ब्रांड और खुदरा विक्रेताओं ने तथाकथित कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) प्रोग्राम बनाए, जो कॉर्पोरेट जगत में स्व-विनियमन का एक प्रयास है, जिसने श्रमिकों के लिए कोई भी सुधार नहीं किया है, और जो केवल कॉर्पोरेट छवि को चमकाने के लिए सेवारत हैं। इन CSR कार्यक्रमों में श्रम मानकों को नियमित रूप से अनदेखा किया जाता है। जब सबसे पहले ब्रांडों ने आचार-संहिता में आजीविका वेतन का अधिकार जोड़ा था, तबसे श्रमिकों की एक पूरी पीढ़ी गरीबी में फँस गई है। कई कंपनियों ने तो उपभोगताओं के दबाव में, सार्वजनिक रूप से आजीविका वेतन को स्वीकृति देने की घोषणाएँ की- लेकिन दूसरी ओर वो आपूर्तिकर्ताओं को कम कीमतों पर सीमित रखते रहें। ब्रांडो द्वारा इन विकर्षणों पर डाले गए प्रयास एक महत्वपूर्ण सच्चाई को प्रकट करते हैं: उपभोक्ता और श्रमिक परिवर्तन चाहते हैं, और ब्रांड उस मांग को पूरा करने के लिए आश्वासन देने पर मजबूर हो जाते हैं।

नागरिक समाज संगठनों, निवेशकों और यहाँ तक की सरकारों ने भी ब्रांडों को सुझाव दिया है कि वे व्यापार और मानव अधिकारों के लिए बने संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते हुए आजीविका वेतन का अधिकार आपूर्ति श्रृंखलाओ में सुनिश्चित करें। यह जिम्मेदारियां राज्यों की क्षमताओं और/या वैधानिक निम्न को आजीविका वेतन के स्तर पर ऊपर लाने की उनकी स्वेछा से भिन्न है। पिछले दशक में, कई आजीविका वेतन मानदंडों का विद्वानों और शोधकर्ताओं के द्वारा निर्माण हुआ था; कई देशों की यूनियनों ने ठोस आजीविका वेतन की मांगों को निर्धारित किया, और एक क्षेत्रीय आजीविका वेतन संस्थान- एशिया फ्लोर वेज को एशिया के ट्रेड यूनियनों द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने ये मांग की थी कि ब्रांड सांविधिक

न्यूनतम वेतन और आजीविका वेतन के बीच के अंतर का भुगतान करें। इस अंतर को समाप्त करने के लिए, यहां प्रस्तुत प्रस्ताव एक संगठन/सूत्रीकरण को विकसित करने के लिए है।

अब समय आ गया है की ब्रांड केवल बोलते न रहें, बल्कि करके दिखाए। समाधान सरल है: सांविधिक न्यूनतम वेतन और आजीविका वेतन स्तरों के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए, कंपनियों को आपूर्तिकर्ताओं को उच्च मूल्य का भुगतान करना होगा ताकि वो आजीविका वेतन देने में सक्षम हो पाएं। श्रमिकों के पास संगठित होने व मोल-भाव करने का अधिकार होना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये उच्च मूल्य उच्च वेतन में परिवर्तित हो पाए। ब्रांडों के वचन बाध्यकारी होने चाहिए, क्योंकि स्वैच्छिक वादे परिवर्तन नही ला पाएंगे।

पिछले दो वर्षों में, क्लीन क्लोथ्स कैंपेन, एशिया फ्लोर वेज एलायंस और वर्कर-ड्रिवन सोशल रिसपोनसीबिलिटी नेटवर्क संगठनो, समूहों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य सहयोगियों के व्यापक गठबंधन का प्रतिनिधित्व करते हुए एक ठोस मांग विकसित करने के लिए एक साथ आए हैं:

ब्रांडों को प्रत्येक ऑर्डर पर अतिरिक्त आजीविका वेतन का योगदान देना चाहिए। आजीविका वेतन का योगदान दो कारकों पर आधारित होगा: 1) उत्पादक देशों में वैधानिक न्यूनतम वेतन और अनुमानित आजीविका वेतन के बीच औसत अंतर; और 2) एक कपडे की लागत का औसत प्रतिशत जो श्रमिकों पर जाती है। आजीविका वेतन का योगदान ब्रांड द्वारा आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाएगा, और फिर आपूर्तिकर्ता द्वारा वितरित किया जाएगा, जो पे-स्लिप पर दिखाई देगा, सभी श्रमिकों में समान रूप से बटेगा। जहाँ एक स्वतंत्र यूनियन मौजूद होगा, वहाँ आपूर्तिकर्ता को यूनियन के साथ आजीविका वेतन योगदान के वितरण के लिए एक समझौते पर बाध्य किया जाएगा। किसी भी देश को उसके प्रतिद्वंदियों से पहले समझौता करने के कारण दंडित होने से बचाने के लिए, आजीविका वेतन योगदान हर देश में मान्य होगा जिसमें ब्रांड ठेका देकर काम करवाते है।

ब्रांड द्वारा आजीविका वेतन योगदान का भुगतान और श्रमिकों तक उसके पहुंचने की प्रक्रिया की निगरानी हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा की जाएगी, जो इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से एक स्वतंत्र तृतीय-पक्षीय संगठन की भी स्थापित कर सकते हैं। किसी प्रकार के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए, श्रमिक 24-घंटे सुचारु शिकायत तंत्र का उपयोग कर पाएं।

स्वैच्छिक आचार संहिता के विपरीत, यह योजना जमीनी स्तर के यूनियनों, श्रमिक अधिकारों के समूहों और ब्रांडों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के माध्यम से लागू होगी। समझौते में संगठित होने के अधिकार का संरक्षण भी शामिल होगा, जो एक महत्वपूर्ण घटक है यह सुनिश्चित

करने के लिए कि श्रमिक आवाज़ उठाने में सक्षम हो। हस्ताक्षरकर्ता ब्रांडों को उस आपूर्तिकर्ता के साथ व्यापार को समाप्त करने की आवश्यकता होगी जो श्रमिकों को आजीविका वेतन योगदान नहीं दे रहे हो या जो निगरानी करने वाले संगठन द्वारा पारित अनिवार्य सुधारक योजना का पालन करने में विफल हो, जिसमें संगठित होने के अधिकार का उल्लंघन भी शामिल है। सार्थक परिणामों के लागू होने का मतलब है कि ब्रांडों को अपनी प्रतिबद्धताओं को गंभीरता से लेना होगा -अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

यह योजना प्रवर्तनीय ब्रांड समझौतों और कार्यकर्ता द्वारा संचालित सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में बनाई गई है। यह योजना जो की बांग्लादेश में आग और भवन सुरक्षा समझौता व निष्पक्ष भोजन योजना द्वारा शुरू हुई, इसकी सफलता से आपूर्ति श्रृंखला में श्रमिकों की सुरक्षा और रहने की स्थिति में मुख्य रूप से सुधार आया। इस तरह की उपलब्धियाँ कपडा उद्योग में निम्न-स्तर के वेतन की समस्या के समाधान के लिए एक आश्वासन देती हैं।

क्षेत्र की यूनियनें अपने स्वयं के प्रतिनिधियों को चुनेंगी जो उस समझौते पर बातचीत करने के लिए बाध्य होंगे जिसमें वे हस्ताक्षरकर्ता होंगे, साथ ही नागरिक समाज संगठनें गवाहों के रूप में कार्य करेंगे और प्रगति की निगरानी व रिपोर्टिंग के आधार पर उत्तरदायित्व स्थापित करेंगे। यह समझौता जोखिमों को कम करने और उचित उपाय प्रदान करने के लिए ब्रांडों को उनके मानवाधिकारों के प्रति दायित्व को निभाने में सक्षम बनाएगा। ।

यह एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव है और हमारा संघ इस नयी योजना को समझाने के लिए एक सार्वजनिक वेबसाइट को सुचारु करने की तैयारी कर रहा है। हम जानते हैं कि ब्रांड और खुदरा विक्रेता अपने लाभ का एक छोटा-सा हिस्सा देने के लिए भी गहराही से सोचेंगे। कपड़ा उद्योग में इस तरह का बड़े पैमाने पर बदलाव लाना आसान या त्वरित नहीं होगा, और रास्ते में बहुत बाधाएं भी आएँगी। लेकिन अगर हम सफल होते हैं, तो यह प्रस्ताव मूल रूप से एक उद्योग को बदल देगा, और लाखों श्रमिकों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक रास्ता तैयार करेगा। श्रमिकों को अब एक आजीविका वेतन की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे।